मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/एफ 1558/2005/10-2 भोपाल, दिनांक : 2-2-2018

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन वृत्त
समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व
संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी
समस्त वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल/वन्यप्राणी वनमंडल
समस्त अधीक्षण यंत्री/ कार्यपालन यंत्री, म.प्र. विद्युत वितरण कंपनियां
मध्य प्रदेश.

विषय :— **वन्यप्राणियों की सुरक्षा हेतु संवेदनशील वन क्षेत्रों एवं उनके समीपवर्ती ग्रामों से गुजरने वाली विद्युत लाइनों के नीचे वन विभाग एवं विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा संयुक्त गश्ती बाबत।**

मध्य प्रदेश राज्य में विद्युत लाइनों से अवैध कनेक्शन लेकर ग्रामीणों द्वारा फसल सुरक्षा के नाम पर भूमि पर विद्युत तार बिछाये जाकर उनके माध्यम से वन्यप्राणियों के शिकार के प्रकरणों में विगत दो दशकों से सतत् वृद्धि हुई है। अतः इस संबंध में वर्ष 2002 में चीफ इलेक्ट्रिकल इस्पेक्टर भारत सरकार ने सभी राज्यों के विद्युत मंडल के अध्यक्षों को वन्यप्राणी सुरक्षा में सहयोग प्रदान करने के लिये लेख किया गया। राज्य शासन द्वारा भी वर्ष 2005 तथा वर्ष 2008 में इस संबंध में निर्देश प्रसारित किये गये थे।

विगत वर्ष के प्रारंभ में मुख्य वन्यप्राणी सम्मेलन के अंतर्गत उक्त निर्देशों की पुनरावृत्ति की गई थी किन्तु गत वर्ष विद्युत करंट से अनेक वन्यप्राणियों की मृत्यु हुई। इस परिप्रेक्ष्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के प्रस्ताव अनुसार दिनांक 10.01.2018 को अपर मुख्य सचिव, वन की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग के साथ बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार वन क्षेत्रों में संयुक्त गश्ती के लिये निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :—

1. वनाधिकारी अपने–अपने क्षेत्र में वन्यप्राणियों की सुरक्षा हेतु संवेदनशील वन क्षेत्रों एवं उनके समीपवर्ती ग्रामों को चिन्हित करें तथा इसकी जानकारी विद्युत वितरण कंपनी के संगत अधिकारियों को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही इन ग्रामों एवं वन क्षेत्रों में जहां–जहां पर 11 के.व्ही./एल.टी. लाइन गुजरती है उसकी जानकारी मानचित्र पर अंकित कर संबंधित बीट एवं परिक्षेत्र सहायक वृत्त के प्रभारी को उपलब्ध कराई जाये।
2. संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरने वाली विद्युत लाइनों में किस नजदीकी उप स्टेशन से विद्युत प्रवाह होता है तथा वहां पर विद्युत विभाग के किन–किन कर्मचारियों की पदस्थिति है, इसकी सूची विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संगत वनाधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी।
3. संवेदनशील वनक्षेत्रों में जहां इस प्रकार की घटनायें आमतौर पर होती हैं 11के.व्ही. विद्युत लाइनों पर फॉल्ट रिले अवश्य लगाये जाये।
4. 11 के.व्ही. विद्युत लाइनों के समस्त "ट्रिपिंग ऑन अर्थ फाल्ट" वन विभाग के साथ मिलकर जांच करेंगे।

5. वन एवं विद्युत वितरण कंपनियों के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा परस्पर समन्वय बनाकर वन्यजीवों के विचरण वाले समय की अपेक्षा विद्युत आपूर्ति अपेक्षाकृत सुरक्षित समय में की जाये।

6. भविष्य में डाली जाने वाली विद्युत लाइने निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई से ऊपर रखी जायें। वर्तमान में जो विद्युत लाइन विद्यमान है उनमें यह सुनिश्चित किया जाये कि कही भी कोई विद्युत लाइन निर्धारित ऊंचाई से नीची न हो। जहां ऐसी स्थिति पाई जाये वहां समयबद्ध योजना बनाकर इस स्थिति का निराकरण किया जाये।

7. वनाधिकारी एवं संगत विद्युत अधिकारी संबंधित वनरक्षक एवं विद्युत लाइन मैन के लिये संयुक्त गश्ती का रोस्टर तैयार करेंगे। तदानुसार ऐसे क्षेत्रों की रात्रिकालीन गश्ती की जायेगी तथा वरिष्ठ स्तर पर इसकी मासिक समीक्षा की जायेगी। गश्त हेतु वाहन वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी इसकी त्रैमासिक समीक्षा की जायेगी।

8. अवैध विद्युत लाइन की उपस्थिति संयुक्त गश्ती दल के संज्ञान में आने पर वे तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करेंगे। वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 एवं विद्युत अधिनियम, 2003 की उपयुक्त धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करेंगे ताकि दोषियों के विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई की जा सके।

9. विद्युत करंट से वन्यप्राणियों की मृत्यु के प्रत्येक प्रकरण में विद्युत अधिनियम, 2003 एवं वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।

10. जिले की टाइगर सेल की बैठक में मध्य प्रदेश राज्य विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन यंत्री/अधीक्षण यंत्री स्तर के अधिकारी भाग लेंगे।

11. ऐसे सब स्टेशन जहां से 33/11 के.व्ही. लाइन वन क्षेत्र से जाती है उनके ऑपरेटर संबंधित लाइन ट्रिप होने पर इसकी सूचना टेलीफोन पर निकटस्थ वनाधिकारी एवं अपने वरिष्ठ अधिकारी को देंगे। इस कार्य में सहायता हेतु वन विभाग के शासकीय सेवकों के दूरभाष की सूची वनमंडलाधिकारी द्वारा कार्यपालन यंत्री के माध्यम से सब स्टेशन को उपलब्ध कराई जायेगी।

12. पुलिस तथा स्थानीय गुप्तचर इकाइयों के सहयोग से अपराधियों के संबंध में जानकारी एकत्रित की जाये एवं मुखबिरों को पुरस्कृत कर मुखबिर तंत्र को सुदृढ़ किया जाये।

Keshari	Dkhandekar
(आई.सी.पी. केशरी)	(दीपक खाण्डेकर)
प्रमुख सचिव	अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग	म.प्र. शासन, वन विभाग

पृ. क्रमांक/एफ ~~15/2/2018~~ 15-58/2005/10-2/ भोपाल, दिनांक 21/2/2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश।
2. समस्त प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य विद्युत वितरण कंपनियां।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Additional Secretary,
Govt. of Madhya Pradesh
Forest Department